

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 37 /2020-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. (अ)- जहां कि मलेशिया (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "क्लियर फ्लोएट ग्लास" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 70 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/15/2019-डीजीटीआर, दिनांक 20 अगस्त, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 1, खण्ड 1, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि-

- (क) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का भारत को उसके संबंधित सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया था। इस प्रकार इसकी यहाँ भरमार हो गयी।
(ख) विषयगत वस्तु की विषयगत देश से यहाँ भरमार होने के कारण यहाँ के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है।
(ग) यह सारवान क्षति विषयगत देश से होने वाले फालतू आयात को कारण हुई है।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की है।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर विषयगत वस्तु के अवतरण मूल्य और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बीच के अंतर के बराबर की दर से, बशर्ते कि अवतरण मूल्य उक्त शुल्क सारणी के कॉलम (7) में निर्दिष्ट राशि से कम हो, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपादन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक / उप शीर्षक	समूह का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	मुद्रा	इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	7005	क्लियर फ्लोएट ग्लास जिसकी मोटाई मामूली रूप से 4 मिमी से 12 मिमी तक हो (इसमें ये दोनों माप भी शामिल हैं), जिसकी मामूली मोटाई BIS 14900:2000 के अनुसार हो	मलेशिया	मलेशिया	किबिंग ग्रुप (एम) एसडीएन बीएचडी	273.12	अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
2	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया	जिंयी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी	272.87		
3	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	कोई भी	उपर्युक्त क्रम सं. 1 और 2 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी	326.00	अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन
4	-तदैव-	-तदैव-	कोई भी देश जहां प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगता हो	मलेशिया	कोई भी	326.00	अमेरिकी डॉलर	मिट्रिक टन

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया यह प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण 1- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

स्पष्टीकरण 2- इस अधिनियम के उद्देश्य से किसी आयात का अवतरण मूल्य वह आंकलन मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सभी स्तर के सीमा शुल्क शामिल होंगे।

[फाइल संख्या 354/127/2020 -टीआरयू]

(जैनेन्द्र सिंह कंधारी)
उप सचिव, भारत सरकार